



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज</p>
<p>27/10/2020</p>	<p>वकील वाडी उप। लक्ष्मीलाल डेसूरी द्वारा बटवाडा प्रदत्त अग्रपत्र पुनः लिखित जाकर पत्रावली दिनांक 21/12/2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली) </p>
<p>5/11/2020</p> <p style="text-align: center;">  म. 10 गा. 15/11 14/11/2020 </p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>वकील वाडी मम वाडी उपस्थित। वकील वाडी द्वारा शर्चना पत्र प्रदत्त अर पत्रावली तलब करने हेतु निवेदन पर पत्रावली निम्न लिखित से पूर्व पेश की गई। वकील वाडी ने शर्चना पत्र वास्तव दावा विहीन करते बाबत प्रदत्त अर निवेदन दिया कि दावा में शक्यमित डिग्री जारी हो रही है व वाडी स्वयं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है जिससे वाडी दावा चलाना नहीं चाहते हैं। शर्चना पत्र पर वकील वाडी को सुना गया। शर्चना पत्र स्वीकार दिया जाता है। वाडी को वाड अन्तर्गत धारा 53, 188, 92A R7 A4 अदिये विहीन स्वारिज दिया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली) </p>